राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2573/2022

डॉ. अंशुल मट्टा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
4. श्री आशुतोष कुमार सिंघल, एस.एम.ओ. जरिये संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.07.2022
आदेश की दिनांक : 26.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 25.07.2022 एवं 08.08.2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें एवं समस्त लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में District Tuberculosis Officer (DTO) के पद पर उदयपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 25.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को बिना विवेक का इस्तेमाल किए स्थानान्तरण किया गया है। उनका कथन है कि

उक्त आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के विरूद्ध जारी किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11862/2017 समलेता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को नियम विरूद्ध माना है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने रंजू कुमारी गढवाल बनाम राज्य व अन्य में भी ऐसे आदेश को अनुचित माना है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12087/2022 डॉ. कृष्ण कुमार सोनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के द्वारा नियम 8(iii) के विरूद्ध जारी किए गए आदेश को अनुचित माना है और इस प्रकार विभाग द्वारा उक्त नियम के विरूद्ध जारी किया गया आलोच्य आदेश विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 25.07.2022 एवं 08.08.2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें एवं समस्त लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 25.07.2022 एवं 08.08.2022 नियमानुसार प्रशासनिक अत्यावश्यकता में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी को एक ही पद पर पदस्थापित रहने का अधिकार प्राप्त नहीं है और चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध कराने के मद्देनजर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी को रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में District Tuberculosis Officer (DTO) के पद पर उदयपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 25.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को बिना विवेक का इस्तेमाल किए स्थानान्तरण किया गया है तथा आदेश दिनांक 08.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी को जिला क्षय निवारण केन्द्र, उदयपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया, जो राजस्थान

पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के विरूद्ध जारी किया जाना प्रकट होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12087/2022 डॉ. कृष्ण कुमार सोनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के द्वारा नियम 8(iii) के विरूद्ध जारी किए गए आदेश को अनुचित माना है। हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 08.08.2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12087/2022 डॉ. कृष्ण कुमार सोनी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2022 को दृष्टिगत रखते हुए अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को वही पर कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य